

बिशन सिंह एवं अन्य

बनाम

राज्य

9 अक्टूबर 2007

[न्यायाधीश श्री एस.बी. सिन्हा एवं श्री हरजीत सिंह बेदी,]

दंड संहिता, 1860-धारा 147, 308/149, 323 और 325-अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे चोट पहुंचाई- पुरानी रंजिश का मामला- अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा डी दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 147 और 308/149. धारणा की शुद्धता: हालांकि लाठी रखने वाले प्रत्येक आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप लगाया गया, सात चोटों में से केवल एक गंभीर चोट लगी, वह भी शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं - इस प्रकार, आरोपी भा.द.स. की धारा 308 के अंतर्गत दोषी नहीं है लेकिन अंतर्गत धारा. 323 एवं 325 भा.द.स सजा के संबंध में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल सजा की अवधि घटाकर 15,000/- प्रत्येक पर जुर्माना लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी की शिकायतकर्ता से दुश्मनी थी। उस दिन आरोपियों ने शिकायतकर्ता पर लाठियों से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया और उससे पैसे छीन लिए। शिकायतकर्ता के भाई ने

बीच-बचाव किया तो उसे भी चोटें आईं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया और पहले भी धमकी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 147 और 308/149 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और भा.द.स. की धारा 147 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के लिए कठोर कारावास लगाया गया और भा.द.सं की धारा 308/149 के तहत अपराध के लिए चार साल का कठोर कारावास। हाई कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा. इसलिए वर्तमान अपील।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार:-

अभिनिर्धारित: 1. इससे पहले कि किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 308 के तहत दोषी ठहराया जा सके, आरोपी की ओर से गैर इरादतन हत्या करने के लिए अपेक्षित इरादे या ज्ञान को साबित करना आवश्यक है। कथित तौर पर छह लोगों ने घायलों पर हमला किया। उनकी पहले से दुश्मनी थी। हालाँकि लाठियाँ रखने वाले प्रत्येक आरोपी के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन केवल सात चोटें आई थीं और उनमें से केवल एक ही चोट गंभीर प्रकृति की थी जो कि हाथ पर फ्रैक्चर था, जो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा (वाइटल पार्ट) नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपीगण ने भा.द.सं की धारा 308 के तहत

कोई अपराध किया है, यह अपराध भा.द.सं की धारा 323 और 325 के अंतर्गत आएगा। [पैरा 11 और 12] [802.ड,इ,फ,]

2. इस प्रकृति के मामले में सजा देते समय, अदालत को उन कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो अदालत द्वारा मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाने के लिए हैं। घटना 1984 की है, 23 साल बीत गए। अपीलकर्ता अब तक जमानत पर थे। ऐसा नहीं कहा गया है कि उन्होंने कभी जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया हो। यह घटना उनकी ओर से किसी क्रूरता या किसी मानसिक भ्रष्टता को नहीं दर्शाती है। वे पाँच माह से अधिक समय तक हिरासत में रहे। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए आरोपीगण को वापस जेल भेजना उचित नहीं होगा। हालाँकि, घायल को अपीलकर्ताओं के हाथों दर्द सहना पड़ा था। इसलिए आरोपीगण की मूल सजा को पूर्व में उनके द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि तक कम किया जाता है तथा प्रत्येक अभियुक्त पर 15,000/- रुपये के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा। यदि उपरोक्त राशि अदा कर दी जाती है, तो उपरोक्त राशि में से 25,000/- रुपये का भुगतान परिवादी को किया जावेगा। (पैरा 14) (802-ग, एच; 803-अ,ब,

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या
1390/2007

आपराधिक अपील संख्या 343/2001 उत्तराखंड उच्च न्यायालय,
नैनीताल के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 14.3.2007 के आदेश के
विरुध

अपीलकर्ताओं की ओर से गौरव अग्रवाल।

प्रतिवादी की ओर से रचना श्रीवास्तव, ए.ए.जी. और अणुव्रत शर्मा।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस एस.बी. सिन्हा के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. बिशन सिंह पुत्र बच्ची सिंह और गोविंद बल्लभ पुत्र कृष्णानंद, दो
जीवित आरोपी, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 308/149
के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया
गया, वे हमारे सामने हैं; अन्य चार आरोपीगण अर्जुन सिंह, शिवराज,
गोविंद सिंह और भैरव दत्त की मृत्यु हो चुकी है।

3. शिकायतकर्ता हरीश भट्ट थे। दिनांक 30.09.1984 को लगभग
शाम 06.30 बजे जब वह अपने गांव की ओर जा रहा था तो आरोपीगण
ने उस पर लाठियों से हमला किया और उसकी जेब से 400 रुपये निकाल
लिए। परिवादी के भाई घनश्याम दत्त भट्ट ने हस्तक्षेप किया। यह आरोप

लगाया गया था कि आरोपी व्यक्ति घायल के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे और उनकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से उन पर हमला किया था। डॉ. जे.एस.पंगति (पीडब्ल्यू-06) द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट के अनुसार हरीश भट्ट को लगी चोटें इस प्रकार हैं:

“1. दाहिनी पार्श्विका क्षेत्र में खोपड़ी पर 3 सेमी गुणा 1 सेमी का फटा हुआ घाव, दाहिनी आंख-भौंह के ऊपर 14 सेमी। खोपड़ी गहरी, ताजा रक्तस्राव मौजूद है।

2. दाहिनी ओर खोपड़ी पर 5 सेमी गुणा 1/2 सेमी \cup गहराई तक फटा हुआ घाव पार्श्विका क्षेत्र, दाहिनी भौंह से 19 सेमी ऊपर।

3. फटा हुआ घाव 3 सेमी $\frac{1}{4}$ सेमी \cup त्वचा गहरा, ऊपर 4 सेमी दाहिने माथे पर दाहिनी भौंह, चारों ओर 6 सेमी गुणा 7 सेमी सूजन घाव।

4. घर्षण 1 सेमी गुणा 1/2 सेमी, ऊपरी होंठ पर, मुंह के दाहिने कोण से 3 सेमी। 4/1. निचले होंठ पर मुंह के दाहिने कोण पर घर्षण 1 सेमी गुणा 1/2 सेमी।

5. चोट का निशान दाहिने कंधे से 10 सेमी गुणा 5 सेमी ऊपर लाल रंग का। घाव के चारों ओर 2 सेमी सूजन।

6. बाएं हाथ के ऊपर और सामने तथा मध्य में चोट का निशान 6 सेमी गुणा 6.5 सेमी, कंधे के जोड़ के नीचे 13 सेमी, चोट के चारों ओर 1 सेमी सूजन।

7. अग्रबाहु पर चोट 12 सेमी गुणा 10 सेमी, बायीं कलाई के जोड़ से 8 सेमी, चोट के चारों ओर) सेमी सूजन।

8. दोनों पैरों के निचले हिस्से और जांघ में दर्द की शिकायत, लेकिन कोई चोट नहीं।"

4. स्वीकृत तौर पर चोट संख्या 7 को छोड़कर सभी चोटें साधारण थीं। चोट संख्या 7 कलाई के जोड़ की उतरने के साथ फ्रैक्चर होने के कारण गंभीर पाई गई। घायल ने खुद को गवाह पीडब्लू-5 के रूप में परिक्षित करवाते हुए कथन किये कि:

“...मैं अभियुक्तों को गरीब लोगों से लड़ने से रोकता था और मैं अभियुक्तों के विरुद्ध शांति जोशी और अभियुक्तों के बीच हुए मुकदमे में गवाह था। इसीलिए अभियुक्तों ने मुझे पीटा। मेरे सिर में चोट लगी थी। मेरा कुर्ता पूरा खून से लथपथ हो गया जिसकी जप्ती रिपोर्ट अस्पताल में बनाई गई थी...”

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उक्त गवाह और उसके भाई की गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं को धारा 147 और 308/149 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आईपीसी

की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और धारा 308/149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए चार साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

6. हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने आरोप लगाया था कि सभी छह आरोपियों ने पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी झोंपड़ी भी जला दी थी। उक्त हमला उसे मारने के इरादे से किया गया था, लेकिन उसमें दर्ज अपराध धारा 147 व 323 के तहत था तथा आरोप पत्र उनके साथ-साथ आईपीसी की धारा 308 के तहत था, प्रस्तुत किया गया था।

7. हमने यहां पहले देखा है कि पीडब्लू-5 ने अपने बयान में पार्टियों के बीच मौजूदा दुश्मनी के बारे में बताया था। उसकी गवाही से ऐसा नहीं लगता कि उसने ऐसा कोई कथन किया हो कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में पूरी तरह से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर भरोसा करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 308 के तहत मामला बनना माना है।

8. दिलचस्प बात यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आईपीसी की धारा 308 के साथ धारा 149 के तहत आरोप साबित माना,

क्योंकि चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपीगण लाठियों से लैस थे।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 308 भा.द.स के संपूर्ण विस्तृण पर ध्यान नहीं दिया जो किसी इरादे या ज्ञान के अस्तित्व को जाहिर करता है।

10. उच्च न्यायालय ने भी यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि:-

“33. रिकार्ड के अवलोकन से यह स्थापित हो गया है कि:-

अभियुक्तगणों का इरादा गैर इरादतन हत्या करना था। घायल हरीश भट्ट से उनकी दुश्मनी थी। आरोपियों द्वारा उसे जिंदगी बर्बाद करने की धमकियां भी दी गई थी। पीडब्लू-4, घनश्याम दत्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि आरोपीगण घायल को लाठियों-डंडों से बेरहमी से पीट रहे थे। सिर पर भी चोटें मारी। चोटों की स्थिति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष आरोपीगण के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 308/149 के तहत अपराध साबित करने में सफल रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित है और अपीलीय अदालत द्वारा किसी दखल की आवश्यकता नहीं है।”

11. अभियुक्तगण का आरोप अंतर्गत धारा 308 भा.द.सं. के तहत साबित माना जाने से पूर्व इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक था कि उसके तत्व, अर्थात्, अपेक्षित इरादा या ज्ञान मौजूद था। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है कि अभियुक्तगण के गैर इरादतन हत्या करने के ऐसे इरादे और ज्ञान को साबित करने की आवश्यकता है। कथित तौर पर छह लोगों ने घायल पर हमला किया। उनकी पहले से दुश्मनी थी। हालाँकि प्रत्येक आरोपीगण जिनके पास लाठियाँ थी उनके खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था लेकिन परिवादी के केवल सात चोटें आई थीं और उनमें से केवल एक चोट गंभीर प्रकृति की चोट थी जो हाथ पर फ्रैक्चर था, जो कि शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों (वाइटल पार्ट) पर नहीं थी।

12. इसलिए, हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपीगण ने भा.द.सं. की धारा 308 के तहत कोई अपराध कारित किया है बल्कि उनके द्वारा कारित अपराध धारा 323 और 325 भा.द.सं. के अंतर्गत आएगा।

13. इसके लिए सजा क्या होनी चाहिए?

14. इस प्रकृति के मामले में सजा देते समय, अदालत को उन कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो अदालत द्वारा मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाने के लिए हैं। घटना 1984 की है, 23 साल बीत गए। अपीलकर्ता अब तक जमानत पर थे। ऐसा नहीं कहा गया है कि उन्होंने

कभी जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया हो। यह घटना उनकी ओर से किसी क्रूरता या किसी मानसिक भ्रष्टता को नहीं दर्शाती वे पाँच माह से अधिक समय तक हिरासत में रहे। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए आरोपीगण को वापस जेल भेजना उचित नहीं होगा। हालाँकि, घायल को अपीलकर्ताओं के हाथों दर्द सहना पड़ा था। इसलिए आरोपीगण की मूल सजा को पूर्व में उनके द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि तक कम किया जाता है तथा प्रत्येक अभियुक्त पर 15,000/- रुपये के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास पृथक से भुगताना होगा। यदि उपरोक्त राशि अदा कर दी जाती है, तो उपरोक्त राशि में से 25,000/- रुपये का भुगतान परिवादी को किया जावेगा।

15. अपीलकर्ता यदि किसी अन्य मामले में वांछित ना हों तो उन्हें शर्तों के अधीन तुरंत रिहा कर दिया जाए।

16. उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार की जाती है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेणुका सिंह हूडा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।